



शिकायत एवं अपील ट्रैकिंग प्रणाली

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग

जन सूचना अधिकारी हेतु दिशानिर्देश

- सर्वप्रथम जन सूचना अधिकारी लॉगिन करेगा।
- अपना पासवर्ड अपडेट करेगा।
- अपना प्रोफाइल अपडेट करेगा।

1. जन सूचना अधिकारी डैशबोर्ड

- I. जन सूचना अधिकारी अपने केस से सम्बंधित प्रचलित वाद से सम्बंधित प्रपत्र (के. ओ. एफ.) कर सकता है।
- II. जन सूचना अधिकारी अपने निस्तारित केस से सम्बंधित आदेश वापसी (नियम-12) कर सकता है।
- III. स्व-प्रोफाइल- जन सूचना अधिकारी स्व-विवरण देख और संपादित कर सकता है।
- IV. पासवर्ड बदलें - जन सूचना अधिकारी स्व-पासवर्ड अपडेट कर सकता है।

2. ऑनलाइन आवेदन

जन सूचना अधिकारी अपने केस से सम्बंधित के. ओ. एफ. और आदेश वापसी (नियम-12) का ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

3. नोटिस देखे

जन सूचना अधिकारी अपने केस से सम्बंधित नोटिस देख सकता है।

4. आदेश

जन सूचना अधिकारी अपने केस से सम्बंधित आदेश देख सकता है।

5. अर्थदण्ड वसूली नोटिस

जन सूचना अधिकारी अपने केस से सम्बंधित अर्थदण्ड वसूली की नोटिस देख सकता है।

6. भूतपूर्व जन सूचना अधिकारी

जन सूचना अधिकारी अपने कार्यालय के भूतपूर्व जन सूचना अधिकारी का विवरण देख सकता है।

7. अर्थदण्ड वसूली

जन सूचना अधिकारी अर्थदण्ड वसूली की आख्या प्रस्तुत कर सकता है।

8. आवंटित कार्य

जो भी केस जन सूचना अधिकारी पर हुए हैं और उसे लगता है की वो केस उससे सम्बंधित नहीं है तो जन सूचना अधिकारी केस को अन्य जन सूचना अधिकारी को स्थानांतरण कर सकता है।

9. केस अन्य जन सूचना अधिकारी को स्थानांतरित

सूचना अधिकारी द्वारा कोई केस किसी अन्य जन सूचना अधिकारी को स्थानांतरण किये जाने की सूची देख सकता है।